प्रेषक,

संख्या 416 / छ: I / 2004–117 (पर्य0) / 2001

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद,
देहरादून।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून : दिनाँक : 5 जूलाई, 2004

विषय :– वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

क– इस योजना का सम्पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति को दे दिया गया है, जिससे जनपद स्तर पर ही त्वरित गति से योजनाओं की स्वीकृति व ऋण आदि की स्वीकृति हो सके।

ख– जनपद स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति में सम्बन्धित क्षेत्र/ जनपद के नक्शा पास करने वाले प्राधिकरण अथवा तत्सम्बन्धी प्राधिकृत इकाई के एक प्रतिनिधि को इस समिति में नामित किया जाय, साथ ही सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को इस समिति में नामित किया जाय, जिससे जिला पंचायतों के माध्यम से भी योजना का प्रचार–प्रसार व क्रियान्वयन हो सके।

ग– इस योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण समयबद्ध आधार पर सुनिश्चित किया जाय। जैसा कि पूर्व में निर्देश दिये जा चुके है कि देहरादून व हरिद्वार की भांति लोन मेला आदि आयोजित कर आवेदन पत्रों का बैंकों व विभाग, दोनों की ओर से एक मुश्त निस्तारण किये जाने के लिये एक समयबद्ध कार्यकम तैयार किया जाय, जिसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराई जाय।

घ– प्राप्त आवेदन पत्रों में से अस्वीकृत आवेदन पत्रों को समुचित कारण देते हुये निस्तारित किया जाय एवं अस्वीकृत किये जाने के कारणों सहित आवेदन पत्र की अस्वीकृति की सूचना सम्बन्धित लाभार्थि को अवश्य दी जाय।

ड़– इस येाजना में अनुदान राशि बढ़ाकर 5.00 करोड़ किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति है। अतः पर्याप्त आवेदन पत्रों के समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्बन्धित बैंको से अलग–अलग एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में भी प्रस्तावों को रखकर समयबद्ध कार्यवाही की जाय। वर्तमान मे उपलब्ध अनुदान

राशि के व्यय हो जाने के उपरांत रू0 5.00 करोड़ की सीमा तक की अवशेष मांग यथा समय शासन को प्रस्तुत की जाय।

च- जनपदवार एवं योजनावार प्रगति के लिये उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय स्तर पर मासिक बैठकें कर प्रगति का अनुश्रवण किया जाय।

उपरोक्तानुसार योजना कार्यक्रम तैयार कर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जाय एवं उपरोक्त निर्णयों को यथाशीघ्र योजना की विवरण पुस्तिका में भी सम्मिलित करने की कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0संख्या- / /2004-117 (पर्य0)/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, एवं प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव, महोदय के सूचनार्थ।
4- समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
5- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तरांचल, मोती महल मार्ग, हजरतगंज लखनऊ-226001।
6- समस्त प्रबन्धक लीड बैंक उत्तरांचल।
7- निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।